नियमावली

(छात्र / छात्राओं के लिए)

1. संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी का पूरे सत्र में 100 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा में 75 प्रतिशत से कम पाया गया तो उसे किसी भी हाल में परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा।
3. जिनकी उपस्थिति कक्षा में 65 से 75 प्रतिशत के बीच में है वे अपने माता/पिता के साथ संस्थान में उपस्थित होकर **अस्पताल के द्वारा जारी Valid Medical Certificate** वर्ग शिक्षक/ब्राँच हेड को प्रदर्शित कर परीक्षा में बैठ सकते हैं।
4. सत्र के शुरूआत में (क्लास चलने के बीस दिनों के बाद) कक्षा में कम उपस्थिति होने पर वर्ग शिक्षक वैसे छात्रों के अभिभावक को बुलाकर उनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया प्रत्येक सेमेस्टर में की जाएगी।
5. अगर कोई छात्र वर्ग या संस्थान में अनुशासन नहीं बरतता एवं कदाचार में लिप्त पाया जाता है (जैसे की कक्षा में लेट आना, क्लास चलने के दौरान मोबाइल चलाना, शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करना, इत्यादि) तो वर्ग शिक्षक वैसे छात्रों के सात दिनों की उपस्थिति निरस्त कर सकते हैं तथा सेमेस्टर क्लास चलने के 45 दिनों के बाद अभिभावक को बुलाकर इस विषय पर उनके साथ चर्चा करेंगे एवं अन्डरटेकिंग लेंगे।
6. यदि कोई छात्र संस्थान में तोड़-फोड़ करते पाया गया अथवा छात्रों का समूह एकत्रित कर प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करते पाया गया तो उसे संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उस विद्यार्थी पर अधिकतम रु 50,000 तक का जुर्माना लगाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

7. विद्यार्थीओं से संबंधित विषय जैसे – उपस्थिति, अनुशासन, Internal Marks आदि के बारे में वर्ग शिक्षक तथा H.O.D. की जवाबदेही होगी।

8. छात्रों को संस्थान में Uniform पहनकर आना आवश्यक है ।

9. किसी भी छात्र को बिना पहचान पत्र के संस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

10. संस्थान द्वारा छात्रों के प्लेस्मेन्ट संबंधी कोई वायदा नहीं किया जाता है परंतु प्रत्येक छात्रों को प्लेस्मेन्ट हेतू संस्थान स्तर पर संपुर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

11. संस्थान की **शैक्षणिक** गतिविधियों को 9.00 बजे से 5.00 बजे तक जारी रखा जाएगा। शनिवार को आधा दिन होगा।

12. हर रोज़ संस्थान का गेट 09.00 बजे बंद हो जाएगा। गेट 09.15 बजे से 09.16 बजे तक फिर से खोला जाएगा।

13. दोपहर के भोजन का समय 01.00 बजे से **अप्राह्न** 01.40 बजे तक होगा।

14. उपरोक्त नियम और विनियम अप्रैल 2018 से लागू **होंगे** ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
द इंडियन एडुकेशनल फाउन्डेसन

दिनांक – 02.04.2018

नियमावली

(WITH EFFECT FROM JULY, 2018)

1. छात्रों को नियमित रुप से क्लास में शिक्षक प्रवेश से पहले प्रवेश करना एवं क्लास के मध्य में क्लास से बाहर नहीं निकलना होगा ।

2. पूरे सत्र में 75 प्रतिशत की उपस्थिति में जितने दिनों की कमी होगी उसके लिए रु 50 प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड शुल्क देना होगा ।

3. अगर कोई छात्र वर्ग या संस्थान में अनुशासन नहीं बरतता एवं कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उससे प्रभारी दो बार क्षमायाचना (Apology Letter) ले सकते हैं। यदि इसके बावजुद भी उसके आचरण में परिवर्तन नहीं आता है तो प्रभारी उसे 1 से 7 दिन तक क्लास से निलम्बित कर सकते हैं। असामान्य परिस्थिति में अभिभावक को बुलाकर वर्ग शिक्षक के साथ लिखित एकरारनामा देना होगा । उसके बाद भी उस छात्र में अगर सुधार नहीं होता है तो क्लास शिक्षक प्राचार्य को उसका रिपोर्ट देंगे तथा प्राचार्य छात्र को कड़ी सजा दे सकते हैं । जिसमें लड़कों को 6 महीना से एक साल तक परीक्षा से वंचित या संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है ।

4. यदि कोई छात्र शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारीयों अथवा किसी विद्यार्थी के साथ बदसुलूकी करते अथवा संस्थान में तोड़–फोड़ करते पाया गया तो उस विद्यार्थी को संस्थान से सदा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा।

5. यदि कोई व्यक्ति छात्रों का समूह एकत्रित कर प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करते पाया गया तो उसे संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

6. संस्थान में किसी भी सामान को तोड़ फोड़ या बर्बाद करने पर संबंधित छात्रों का नाम ज्ञात नहीं होने पर unknown F.I.R. दर्ज किया जाएगा तथा पूरे वर्ग के छात्रों पर आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा जो कि Next Instalment के साथ देय होगा।

7. यदि किसी छात्र को वर्ग परीक्षा में कदाचार करते पाया जाता है तो उसे माईनस मार्किंग किया जाएगा ।

8. वरिय छात्रों द्वारा नए छात्रों को रैगिंग या तंग करना सख्त वर्जित है । इस निर्देश का पालन नहीं करने पर छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

9. अंतिम घंटी में भी अगर कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो उसे उस दिन की उपस्थिति नहीं दी जाएगी ।

16/05/2018

SIGN ....

10. अंतिम वर्ष के जिन छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत और उससे ज्यादा होगी एवं प्रगति तथा अनुशासन संतोषजनक होंगे तो उन्हें नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाएगी । इसमें पिछले वर्ष के आधार पर भी मुल्यांकन किया जाएगा ।

11. वर्ग के दोनों सामयिक (Terminal) परिक्षाएँ होंगी एवं उनमें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा । जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें प्रत्येक विषय के लिए 100 रु अतिरिक्त शुल्क के रुप में देना होगा ।

12. परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह बाद सारी कक्षाऐं स्वतः ही आरंभ हो जाऐंगी।

13. छात्रों को Uniform पहनकर आना आवश्यक है ।

14. नामांकन रद्द कराने की स्थिति में कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

15. निश्चित समय पर फीस जमा नहीं करने पर 20 रु प्रतिदिन के हिसाब से फाईन देना होगा ।

16. छात्र का किसी प्रकार की छुट्टी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

17. प्रथम वर्ष में नामांकन के समय फॉर्म पर छात्र के माता एवं पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर एवं फोन नं0 अंकित करना आवश्यक होगा ।

18. छात्रों के विलम्ब से आने पर उस दिन की उपस्थिति उन्हें नहीं मिलेगी ।

19. गुटखा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते अथवा संस्थान में मोबाईल फोंन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर उक्त छात्र/छात्रा को 100 रू का जुर्माना भरना होगा ।

20. अन्तिम वर्ष के छात्रों को फार्म भरने से पहले ही पूरा सामान जमा कर एन ओ सी ले लेना अनिवार्य है अन्यथा फार्म भरने नहीं दिया जाएगा ।

21. फार्म भरने के समय प्रत्येक विभाग से एन ओ सी ले लेने के पश्चात ही फॉर्म भरने दिया जाएगा ।

वी. एम. आई. टी. प्रबंधन समिति,

तुपूदाना, राँची।

16/05/2018

SIGN ....